PRESS RELEASE

हापुड़ पुलिस दिनांकः नवम्बर 03,2020

थाना बहादुरगढ पुलिस व स्वाट टीम दित्तीय द्वारा 02 शातिर अपराधियों को दौराने पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 23 अदद तमन्चे मय 04 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध तंमचा बनाने के उपकरण बरामद।

संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 03.11.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड के आदेशानुसार अपराध नियन्त्रण व कानून व्यवस्था हेतु वाँछित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे थाना स्थानीय पुलिस व स्वाट टीम दित्तीय हापुड मुखबिर की सूचना पर सलारपुर तिराहे से दौराने पुलिस मुठभेड अभि0गण 1.फजरे उर्फ फजर खान पुत्र जाहिद निवासी दोताई (नाईयों वाली मस्जिद के पास) थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ 2.साजिया पत्नी शाहिद निवासी अमृत विहार कालोनी आवास विकास थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ को समय 7.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे 15 अदद तमंचे 315 वोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315वोर व तंमचा की नाल मे फसा 01 खोखा कारतूस बरामद किये गये तथा अभियुक्त फजरे उर्फ फजरू उपरोक्त की निशादेही पर अभियुक्त फजरे के घर ग्राम दौताई थाना गढमुक्तेश्वर क्षेत्र से 08 अदद तंमचे 315 वोर कुल 23 अदद तंमचे व 04 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस व अवैध तंमचा बनाने के उपकरण(शस्त्र फैक्ट्री) बरामद होना जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 332/20 धारा 307 भादवि बनाम फजरे उर्फ फजर खान , मु0अ0सं0 333/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम फजरे उर्फ फजर खान ,मु0अ0सं0 334/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 साजिया, मु0अ0सं0 335/2020 धारा धारा 5/25 शस्त्र अधि0 बनाम फजरे उर्फ फजर खान आदि 02 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। तथा अभियुक्त से बरामद एक मो0सा0 पेशन पल्स नं0 डीएल 7 एसएई 6068 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया ।

पूछताछ का विवरणः–

अभियुक्त फजरे उर्फ फजर खान ने पूछताछ पर बताया कि साहब यह महिला साजिया मेरी ममेरी बहन है, और हम दोनों ग्राम दोताई में मेरे घर पर अवैध देशी तमन्चे बनाने का कार्य करते है। चूंकि मेरी ममेरी बहन साजिया पर महिला होने के नाते कोई भी पुलिस वाला यह शक नहीं कर सकता कि यह मेरे साथ अवैध तमन्चो को बनाने व बेचने का कार्य करती है। आगामी आने वाले ग्राम प्रधानी के चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ गयी है, इसलिए आज हम दोनों इन तमन्चो को घूमफिर कर बेचने के लिए बुलन्दशहर क्षेत्र में जा रहे थे एक तमंचा हम करीब 6000 रूपये में बेचते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1–.फजरे उर्फ फजर खान पुत्र जाहिद निवासी दोताई (नाईयों वाली मस्जिद के पास) थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़

2–साजिया पत्नी शाहिद निवासी अमृत विहार कालोनी आवास विकास थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़

बरामदगी का विवरणः–

1–23 अदद तंमचे 315 वोर

2–04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3–01 अदद खोखा कारतूस 315 वोर

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

5–एक बिजली वाला पंखा,

6–एक ठिया लोहा,

7–एक हाथ वाली ड्रिल मशीन

8–ड्रिल मशीन की बारह बिटें,

9– दो हथोड़ी छोटी बड़ी,

10–दो संडासी,

11–एक बांक लोहा,

12—एक कटर कैंची,
13—दो अदद प्लास,
14—दो पाईप रिंच,
15—चार रेती छोटी बड़ी ,
16—एक गुनिया लोहा एल टाईप,
17—एक इंच टेप,
18—दो आरी ब्लैड सहित व 10 ब्लेड आरी,
19—चार पेचकस छोटे बड़े,
20—तीन छैनी लोहा,
21—पांच सुम्भी छोटी बड़ी ,
22—एक नाल लोहा 12 बोर ,
23—एक इलैक्ट्रिक ग्लैन्डर,
24—दो नट बोल्ट दो सूत के,
25—एक प्लास्टिक का बिजली का बोर्ड

गिरफ्तार अभि0गण का आपराधिक इतिहासः—

अभि0 फजरे उर्फ फजर खान उपरोक्त।

1.मु0अ0सं0 332/2020 धारा 307 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
2.मु0अ0सं0 333/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
3.मु0अ0सं0 335/2020 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
4.मु0अ0स0 129/14 धारा 302 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

अभि0 साजिया उपरोक्त।

1.मु0अ0सं0 334/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
2.मु0अ0सं0 335/20 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1.श्री नीरज कुमार थानाध्यक्ष बहादुरगढ।
2.उ0नि0 श्री अजहर हसन थाना बहादुरगढ।
3.उ0नि0 श्री नसीम खान प्रभारी स्वाट टीम दित्तीय हापुड।
4.हे0का0 137 रविकुमार थाना बहादुरगढ।
5.का0 506 सुनील कुमार थाना बहादुरगढ।
6.का0 599 अजय कुमार थाना बहादुरगढ।
7.म0का0 627 प्रीति थाना बहादुरगढ।
8.हे0का0 155 कुलवन्त मलिक स्वाट टीम दित्तीय हापुड।
9.का0 400 विष्णु प्रताप सिंह,स्वाट टीम दित्तीय हापुड।
10.का0 737 मोहित शर्मा स्वाट टीम दित्तीय हापुड।